I/1744734/2023

SPEED POST / R.P.A.D.335

माल और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रधान मुख्य आयुक्त कार्यालय
OFFICE OF THE PRINCIPAL CHIEF COMMISSIONER OF GST & CENTRAL EXCISE
केन्द्रीय माल और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अंचल : तमिलनाडु एवं पुदुच्चेरी
CENTRAL GST & CENTRAL EXCISE ZONE : TAMILNADU & PUDUCHERRY
जी एस टी भवन, सं. 26/1, महात्मा गांधी रोड, चेन्नई - 600 034
GST BHAWAN, No. 26/1, MAHATHMA GANDHI ROAD, CHENNAI - 600 034
ई - मेल / E-mail: cca.estt.section@gmail.com / ccaestt-prcco@gov.in
दूरभाष / Ph. No.: 044-28331011 फैक्स / Fax No.: 044-28331015

फा. सं./File No.:GCCO/CCA/RECR/50/2022-CCAESTT-O/o Pr CC-CGST-ZONE-CHENNAI

डीजीएचआरडी आदेश सं./ **DGHRD ORDER NO.** Chennai GST & CX/CCO & CCA/INSPECTOR/90229/2023

नियुक्ति प्रस्ताव /OFFER OF APPOINTMENT

विषय: स्था. - वस्तु एवं सेवा कर तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के निरीक्षक के पद हेतु भर्ती - कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित संयुक्त स्नातक स्तर परीक्षा, 2020 के परिणाम के आधार पर अभ्यर्थियों का आबंटन।

Sub: Estt. - Recruitment to the post of Inspector of GST & Central Excise Allocation of candidates on the basis of result of the Combined Graduate Level Examination, 2020, conducted by SSC - Reg.

****

कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2020 के परिणाम के आधार पर की गई अनुसंशा और बोर्ड के पत्र फा. सं. ए.12034/एसएससी/06/2020-एडी.III(बी) दिनांक 05.12.2022 के माध्यम से निरीक्षक के पद पर माल एवं सेवा कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तमिलनाडु और पुदुच्चेरी जोन को आबंटित श्री श्रीमती/सुश्री / **सुमन सरदार** (जन्म तिथि) 10/04/1999 को प्रवेशिक वेतन रु 7) -/44,900 .वें वेतन आयोग के वेतन मेट्रक्स स्तर 7, इंडेक्स (1के साथ समय समय पर स्वीकार्य भत्ते में-निरीक्षक माल और) (सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्कपद हेतु प्रावधिक नियुक्ति प्रस्ताव दिया जाता है और चेन्नई संवर्ग नियंत्रण अंचल के निम्नलिखित माल और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तलाय में निम्नानुसार तैनात किया जाता है: –

S/Shri/Smt/Ms. SUMAN SARDAR (D.O.B.10/04/1999), recommended by the Staff Selection Commission on the basis of result of Combined Graduate Level Examination, 2020 and allocated to the GST & Central Excise, Tamil Nadu & Puducherry Zone for the post of Inspector vide Board's letter F. No.A-12034/SSC/06/2020-Ad.III(B) dated 05.12.2022 is offered appointment to the post of Inspector (GST & Central Excise) provisionally in the entry pay of Rs. 44,900 /-(Level 7, Index 1 in pay matrix of 7th Pay Commission) plus allowances admissible from time to time and is posted to the following Commissionerate in GST & Central Excise of Chennai Cadre Control Zone as indicated below:-

अनुक्रमांक **ROLL NO.**	रैंक सं एस एल /III **RANK NO. SL/III**	नाम/ **NAME** (सर्व / श्री /श्रीमती /सुश्री( )**S/Shri/ Smt./Ms.)**	वर्ग **CAT**	तैनाती स्थान **POSTED TO**
4410027593	5261	सुमन सरदार SUMAN SARDAR	अ जा SC	पुदुचेरी PUDUCHERRY

2 . अभ्यर्थियों को वस्तु और सेवा कर व केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, चेन्नै संवर्ग नियंत्रण अंचल के जिस आयुक्त कार्यालय में रिपोर्ट करना है, उस आयुक्त कार्यालय का पता संदर्भ हेतु संलग्न है ।

The address of the GST & Central Excise Commissionerate, Chennai Cadre Control Zone where the candidate has to report is as follows:

I/1744734/2023

जीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय,
पुडुचेरी आयुक्तालय,
नंबर 1, गौबर्ट एवेन्यू,
पुडुचेरी 605 001

O/o The Commissioner of GST & Cental Excise,
Puducherry Commissionerate,
No.1,Goubert Avenue,
Puducherry 605 001

संपर्क सं./ Contact No.: 0413-2221999
ई – मेल आई.डी. / Email ID: hqrs-pycgst[at]gov[dot]in

3. यह नियुक्ति आदेश निम्नलिखित शर्तों है ।
This appointment order is subject to the following conditions.

4 . केंद्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियमावली, 1965 के अनुसार उनकी सेवाएँ, किसी एक की ओर से एक महीने की नोटिस पर, बिना कोई कारण बताएँ, समापनीय होंगी । तथापि, नियुक्ति प्राधिकारी को यह अधिकार है कि उन्हें नाटिस की अवधि के लिए अथवा उस अवधि के असमाप्त हिस्से के लिए वेतन और भत्ते के बराबर की राशि का भुगतान करके उनकी सेवाओं को वह तत्काल समाप्त करें अथवा नोटिस की निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले समाप्त करें । **अभ्यर्थी केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 द्वारा नियंत्रित होंगे ।**

The services of the candidate will be terminable on one month's notice from either side in accordance with the Central Civil Service (Temporary Service) Rules, 1965, without assigning any reasons. The Appointing Authority, however, reserves the right of terminating his/her services forthwith or before the expiration of the stipulated period of notice by making payment to him/her of a sum equivalent to the pay and allowances for the period of notice or the unexpired portion thereof. **The candidate will be governed by the provisions of the CCS (Conduct) Rules, 1964.**

5. वे नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे। सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर इस अवधि को बढाया जा सकता है । परिवीक्षा-काल को संतोषजनक रूप से पूरा करने पर, उपरोक्त पद में उनके स्थायीकरण पर विचार किया जाएगा । **यदि कोई कर्मचारी नियमों के तहत अनुमेय किसी भी प्रकार की छुट्टी लेने के कारण परिवीक्षा के लिए निर्धारित कुल अवधि का 75% पूरा नहीं करता है, तो परिवीक्षा अवधि को ली गई छुट्टी की अवधि तक बढ़ाई जा सकती है, परंतु परिवीक्षा की निर्धारित अवधि के दोगुने से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती । कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 11 मार्च 2019 के कार्यालय ज्ञापन सं. 28020/3/2018-स्था.(सी) के अंतर्गत जारी अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा ।**

He / She will be on probation for two years from the date of appointment, the period of which may be extended at the discretion of the Competent Authority. On completion of the probation period satisfactorily, he/she will be considered for confirmation in the said post. **If an employee does not complete 75% of the total duration prescribed for probation on account of availing any kind of leave as permissible under the Rules, the probation period may be extended by the length of the leave availed, but not exceeding double the prescribed period of probation. Strict compliance will be adhered to the instructions under DoPT's OM No.28020/3/2018-Estt.(C) dated 11th March 2019.**

6 . अभ्यर्थियों को निर्धारित वर्दी पहनना होगा तथा वर्दी-धारी कर्मचारियों से प्रत्याशित अनुशासन को बनाया रखना होगा । आधिकारिक रूप से आयोजित न किए जाने वाले या अनुशासनहीन माने जाने वाले किसी प्रकार के कार्यकलापों में उन्हें भाग नहीं लेना चाहिए ।

The candidate shall equip themselves with prescribed Uniform and will be subjected to usual discipline that is expected of those in Uniform. He/she shall not indulge in activities not officially organized or in any manner considered as indiscipline.

7 . अभ्यर्थियों को दो वर्षों के अंदर निर्धारित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा, ऐसा न करने पर वे आगे वेतनवृद्धियों का आहरण करने के पात्र नहीं होंगे तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के निरीक्षक की ग्रेड में स्थायी रूप से उनके प्रतिधारण के संबंध में भी विचार नहीं किया जाएगा ।

The candidate should pass the prescribed Departmental Examination within two years, failing which he/she will not be eligible to draw further increments and will not be considered for permanent retention in the grade of Inspector of GST & Central Excise.

8 . **माल और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के निरीक्षक के ग्रेड में अभ्यर्थी की वरिष्ठता लागू आदेशों के अनुसार तय की जाएगी ।**

The seniority of the candidate in the grade of Inspector of GST & Central Excise will be fixed as per the orders in force.

9 . छुट्टी, यात्रा भत्ते तथा सेवा-शर्तों से संबंधित सभी अन्य मामलों के संबंध में, वे लोक-सेवा की जिस शाखा के हैं, उसके लिए अनुप्रयोज्य तथा समय-समय पर लागू नियमों तथा आदेशों द्वारा नियंत्रित रहेंगे ।

With regard to Leave, Travelling Allowances and all other matters connected with service conditions, he/she will be governed by the rules and orders in force from time to time and applicable to the branch of public service to which the candidate may belong.

10. माल और सेवा कर एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के प्रधान मुख्य आयुक्त, चेन्नई के संवर्ग नियंत्रण अधिकार - क्षेत्र के अंदर कहीं भी तथा पदोन्नति पर भारत में कहीं भी उन्हें तैनात और स्थानांतरित किया जा सकता है ।

He/she will be liable to be posted and transferred anywhere within the Cadre Control jurisdiction of the Principal Chief Commissioner of GST & Central Excise, Tamilnadu and Puducherry Zone and anywhere in India on promotion.

11 . यदि वे स्थायी सरकारी कर्मचारी नहीं हैं या तीन वर्ष की अस्थायी सेवा पूरी नहीं की हैं, तो वे उक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने के लिए यात्रा भत्ते के हकदार नहीं होंगे ।

He/she will not be entitled to Travelling Allowance for joining the post unless they are permanent Government servants or have completed three years of temporary service.

12 . सरकारी कर्मचारियों तथा अन्यों के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा साक्षात्कार के परिणाम के / आधार पर केन्द्र सरकार के पदों में नियुक्ति के लिए केन्द्र सरकार के कर्मचारी तथा राज्य सरकार के स्थायी अनंतिम स्थायी / कर्मचारी**केन्द्रीय सिविल सेवा)कार्यभार ग्रहण अवधिनियमावली, 1979 (** के अध्याधीन कार्यग्रहण अवधि के हकदार होगें । लेकिन वर्षों की नियमित 3सेवा पूरा न करने वाले केन्द्र सरकार के अस्थायी कर्मचारी, कार्यग्रहण अवधि के लिए तो हकदार हैं, पर कार्यग्रहण अवधि वेतन के लिए हकदार नहीं हैं ।

For appointment to posts under the Central Government on the results of a competitive examination/ or interview open to Government servants and others, Central Government employees and permanent / provisionally permanent State Government employees will be entitled to joining time under **CCS (Joining Time) Rules, 1979**. But temporary employees of the Central Government who have not completed 3 years of regular continuous service entitled to joining time, would not be entitled to joining time pay.

13. अगर उम्मीदवार रोजगार हेतु पहले ही किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा के लिए आवेदन दे चुके हैं / परीक्षा में बैठ चुके है तो उन्हें ड्यूटी पर रिपोर्ट करते समय यह सूचना भी देनी चाहिए। विभाग प्रमुख को आवेदन पत्र को आगे अन्य सरकारी कार्यालियों या कहीं और अग्रेषित करने या रोक लगाने का पूर्ण अधिकार होगा ।

The candidate should also intimate at the time of reporting for duty, if he/she had already applied for / appeared in any other competitive examination for employment. The Head of the Department has full discretion to forward or withhold any of his/her applications for appointment to other Government Offices or elsewhere.

1 4 . कार्यग्रहण करने पर उन्हें भारत के संविधान के प्रति निष्ठा-शपथ लेनी होगी या इस आशय का सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञा करना होगा ।

On joining the post, he/she will be required to take an Oath of Allegiance to the Constitution of India or have to make a solemn affirmation to that effect.

15. अगर वे पहले से नौकरी में हैं तो उन्हें नियोक्ता द्वारा दिए गए कार्यमुक्ति आदेश प्रस्तुत करना होगा।

If he/she is already employed, the candidate should produce a relieving order/ discharge certificate from the previous employer.

16. अगर वे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के होने का दावा करते हैं, तो निर्धारित प्रपत्र में (यथानिर्धारित गृह मंत्रालय के दिनांक 28.01.1952 के का.ज्ञा.सं. 42/21/49-एन.जी.एस. में यथासंशोधित / कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 02.07.1997 का का.ज्ञा. सं. 36033/28/94 में यथाप्रयोज्य), उसमें उल्लिखित किसी न्यायिक / राजस्व प्राधिकारी द्वारा, जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । उन्हें नोट करना होगा कि उनकी नियुक्ति अनंतिम है तथा उचित माध्यम द्वारा जाति / जनजाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्यधीन है । अगर अनुसूचति जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग अथवा नाॅन क्रीमी लेयर / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के होने का दावा गलत पाया जाता है तो उनकी सेवाएं, किसी कारण दिए बिना तथा गलत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दंड संहिता के तहत आगे की जाने वाली कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, तत्काल समाप्त कर दी जाएंगी। नियुक्ति के बाद, उनके धर्म का अगर परिवर्तन होता है तो, उसकी सूचना संबंधित नियुक्ति / प्रशासनिक प्राधिकारी को तत्काल देनी चाहिए ।

If the candidate claims to belong to a Scheduled Caste, Scheduled Tribe or Other backward Classes, Economically Weaker Section, he/she have to produce a certificate issued in the prescribed format (as prescribed in M.H.A O.M. No 42/21/49-N.G.S, dated 28.01.1952 as amended / DOPT O.M .No. 36033/28/94-Estt (Res) dated 02.07.1997 as applicable) by any of the Judicial / Revenue Authorities mentioned therein. He/she should note that his/her appointment will be provisional and is subject to verification of the Caste / Tribe certificate through proper channels and that if the claim to belong to SC/ST/OBC/EWS or not to belong to creamy layer is found to be false, his/her services will be terminated forthwith without assigning any reason and without prejudice to such further action that may be taken under the Indian Penal Code for production of false certificate. He/she should also intimate the change, if any, of their religion, after appointment, immediately to the Appointing / Administrative Authorities concerned.

17. भारत सरकार के अधीन सेवाओं में भर्ती के लिए चालू सुसंगत नियमों के अनुसरण में,

In accordance with the relevant rules in force in regard to the recruitment to services under the Government of India,

(क) कोई ऐसा व्यक्ति, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित है या जो, एक पत्नी के जीवित होते हुए दूसरा विवाह कर लेता है, हालांकि पत्नी के जीवन-काल में घटित होने के कारण वह विवाह अमान्य हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा बशर्ते कि केन्द्र सरकार किसी व्यक्ति के संबंध में उपर्युक्त नियम के लागू होने से छूट दे सकती हैं, यदि वह संतुष्ट है कि ऐसा आदेश देने के विशेष कारण हैं ।

(a) No person who has more than one wife living or who, having a spouse living, contracts to a second marriage, though such marriage is void by reason of it taking place during the life-time of such spouse, shall be eligible for appointment to service, provided that the Central Government may, if satisfied that there are special grounds for so ordering, exempt any person from the operation of this rule.

(ख) कोई ऐसी स्त्री, जिसकी शादी उसके पति के जीवन-काल में घटित होने के कारण से अमान्य हो या

जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पत्नी उक्त विवाह के समय जीवित हो, नियुक्ति के पात्र नहीं होती बशर्ते कि भारत सरकार ने संतुष्ट होकर कि ऐसा आदेश देने के विशेष कारण हैं, उसे छूट दी हो ।

(b) No such woman whose marriage is void by reason of it taking place during the life-time of her spouse or who have married to such a person whose wife is living at the time of marriage shall be eligible for appointment in service unless the Government of India has granted exemption to such a woman in accordance with this rule after being satisfied that there are special grounds for so ordering.

18. अत: यह नियुक्ति प्रस्ताव सशर्त है कि उम्मीदवार उपर्युक्त अपेक्षाओं को पूरा करें। अगर वे उपर्युक्त शर्त को पूरा नहीं करते तथा किसी कारणवश उपर्युक्त नियमों से छूट प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें तत्काल इस आशय का अभ्यावेदन देना चाहिए। ऐसे मामले में यह नियुक्ति प्रस्ताव निरस्त माना जाएं तथा उनके अभ्यावेदन पर विचार करने पर यदि यह निर्णय किया जाता है कि उन्हें निरीक्षक पद के लिए नियुक्ति प्रस्ताव भेजा जाएं तो आगे की सूचना प्रेषित की जाएगी ।

This offer of appointment is, therefore, conditional upon satisfying the requirements mentioned. If, however, he/she does not fulfil the above conditions and he/she desires to be exempted from the above-mentioned rules for any reason, the candidate should make a representation in this behalf immediately. This offer of appointment should, in that case, be treated as cancelled and a further communication will be sent to him/her in due course, if upon consideration of his/her representation, it will be decided to offer him/her appointment to the post of Inspector of Central Excise.

19. यदि उम्मीदवार द्वारा दी गई कोई घोषणा या सूचना गलत पाई जाती है अथवा यदि पाया जाता है कि उम्मीदवार ने विवाह संबंधी किसी सूचना को जानबूझकर दबा लिया है तो वह अपनी सरकारी सेवा से बरखास्तगी तथा सरकार द्वारा आवश्यक माने जाने वाली किसी अन्य कार्रवाई का भागी होगा ।

If any declaration/information furnished by him/her is proved to be false, or if he/she is found to have wilfully suppressed any marital information, he/she will be liable for removal from service and other action as Government may deem necessary.

20. यह नियुक्ति प्रस्ताव पूर्ण रूप से अस्थायी है और संबन्धित जिला / पुलिस अधिकारियों द्वारा जारी पूर्ववृत, संबन्धित जारीकर्ताओं द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, आय और संपत्ति प्रमाण पत्र, विश्वविद्यालय / सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी शिक्षा प्रमाणपत्र, पिछले काम की जगह की संबन्धित जारीकर्ताओं द्वारा जारी सतर्कता मंजूरी प्रमाण पत्र की सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने के अधीन है। संबन्धित अधिकारियों द्वारा किसी भी प्रतिकूल / नकारात्मक रिपोर्ट प्राप्त होने के मामले में अनंतिम नियुक्ति पत्र रद्द कर दिया जाएगा और इसके परिणामस्वरूप आपराधिक / कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

This offer of appointment is purely provisional and is subject to receipt of the antecedent verification report from the concerned District/ Police Authorities, Caste certificate/Income & Assets Certificate in case of EWS from the concerned issuing authority, verification of certificate of education issued by the University/Competent Authority and Vigilance Clearance Certificate issued by concerned authority at previous working place. In case any adverse / negative report is received from the concerned Authorities, the provisional appointment letter will be cancelled forthwith and other criminal/legal action will also be taken, as a consequence.

2 1 . उम्मीदवार को निम्नलिखित दस्तावेजों की एक प्रति के साथ नामांकित अंचल /आयुक्तालय में दिनांक **26.01.2024** को या उससे पहले रिपोर्ट करनी होगी ।

The candidate shall report for duty at the Office of the nominated Zone / Commissionerate **on or before 26.01.2024** with the following documents:

I/1744734/2023

(i) शैक्षणिक योग्यताओं की मूल/ अनुप्रमाणित प्रति
Original and Self-Attested copies of Educational Qualifications;

(ii) आयु प्रमाण-पत्र की मूल/ अनुप्रमाणित प्रति
Original and Self-Attested copy of Certificate of Age;

(iii) अ.जा. / .अ.ज.जा / .अ.पि.व .के अभ्यार्थी के मामले में निर्धारित प्रपत्र में जाति प्रमाण पत्र
Caste Certificate in the case of SC/ST/OBC candidate in the prescribed format;

(iv) ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार के मामले में आय और संपत्ति प्रमाण पत्र।
Income and Assets Certificate in the case of EWS Candidate.

(v) वर्तमान नियोक्ता से कार्यमुक्ति आदेश (यदि लागू हो तो) ।
Relieving order/ Discharge Certificate from the present employer (if applicable).

(vi) Pending Documents (that were not submitted at the time of Document Verification i.e. Character Certificate/ Identity Certificate, etc.)

ऐसा न करने पर यह नियुक्ति प्रस्ताव स्वयमेव रद्द हो जाएगा ।
Failing which this offer of appointment will stand automatically cancelled.

22. कार्यभार ग्रहण करने हेतु मांगा गया कोई भी अवधि - विस्तार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 09.08.2017 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1259494-स्था.(डी), गृह मंत्रालय के दिनांक 06.06.1978 के कार्यालय ज्ञापन सं. 9/23/71 – स्था.(डी) एवं कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 09.08.1995 के कार्यालय ज्ञापन सं. 35016/2/93-स्था. (डी) के प्रावधानों के अध्यधीन विनियमित होगा।

Any extension sought for joining, shall be governed under the provisions of DoPT OM No. 1259494- Estt. (D) dated 09.08.2017, MAH OM no. 9/23/71 – ESTT (D) dated 06.06.1978 and DoPT OM no.35016/2/93-Estt. (D) dated 09.08.1995.

23. नियमित तैनाती से पहले नव नियुक्त निरीक्षकों को संबंधित क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थाओं में अनिवार्य प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा ।

The newly appointed Inspectors should undergo the mandatory training in Regional Training Institutes concerned as and when they are nominated for such training.

24. उक्त कर्मचारियों के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I - खंड 1 दिनांक 22.12.2003 में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मात्रालय की अधिसूचना सं 5/7/2003-ईईसीबी व पीआर दिनांक 22.12.2003 के तहत अधिसूचित नई पेंशन योजना लागू होगी ।

The candidates will be governed by the New Pension Scheme as notified vide Government of India, Ministry of Finance, Notification no. 5/7/2003-EECB & PR dated 22.12.2003 - published in Gazette of India, Extraordinary, Part I - Section 1, dated 22.12.2003.

25. यह आदेश प्रधान मुख्य आयुक्त, माल और सेवा कर तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी, तमिल नाडु एवं पुदुच्चेरी के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

This order is issued with the approval of the Principal Chief Commissioner of GST & Central Excise, Cadre Control Authority, Tamil Nadu and Puducherry Zone.

Signed by Jayapriya Dharanipathi
Date: 26-12-2023 17:46:57
Reason: Approved

I/1744734/2023

(**डी. जयप्रिया/** D. JAYAPRIYA)
अपर आयुक्त (प्र.मु.आ.का.) / ADDITIONAL COMMISSIONER (Pr.CCO)

सेवा में / To,

श्री श्रीमती / सुश्री /सुमन सरदार
मोज़िलपुर दत्ता पारा वार्ड नंबर-2 पोस्ट-जयनगर
मोज़िलपुर पीएस-जयनगर जिला-दक्षिण 24 पीजीएस
पिन-743337

Sh./Smt./Ms. SUMAN SARDAR
MOZILPUR DUTTA PARA WARD NO-2
PO- JAYNAGAR MOZILPUR PS-
JAYNAGAR DIST-SOUTH 24 PGS PIN-
743337

Copy submitted to:

1. अवर सचिव, एडी III (बी), सीबीआईसी, / The Under Secretary, Ad.III (B), CBIC,
वित्त मंत्रालय, भूतल, हडको विशाला भवन/ Ministry of Finance, Ground Floor, Hudco Vishala Building बिकाजी कमा पैलेस, नई दिल्ली / Bhikaji Cama Place, New Delhi-110 066.
2. महानिदेशक, मानव संसाधन एवं विकास महानिदेशालय, एच.आर.एम. – II, 407/8, दीपशिखा बिल्डिंग,
The Director General, DGHRD, HRM-II, 407/8, Deep Shikha Building,
राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली / Rajendra Place, New Delhi - 110008

Copy to:

1. प्रधान आयुक्त/आयुक्त, जीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, पुडुचेर
The Principal Commissioner/Commissioner of GST & Central Excise,
PUDUCHERRY

(नए भर्ती किए गए अधिकारियों जो परिवीक्षा अवधि पर हैं, उनका कार्य निष्पादन बोर्ड के पत्र एफसं.. 32018/13/2019-ए-ए. डी.III.ए दिनांक 09.10.2020 और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 11.03.2019 के कार्यालय ज्ञापन सं2018/28020/3. -स्था (सी). के अनुसार मानिटर किए जाने की आवश्यकता है।(

***)The performance of freshly recruited officers who are on probation period need to be monitored in terms of Board's letter F.No. A-32018/13/2020-Ad.III.A dated 09.10.2020 and DOPT's O.M No. 28020/3/2018-Estt.(C) dated 11.03.2019**.)*

2. अधीक्षक ,(कंप्यूटर अनुभाग)प्रधान मुख्य आयुक्त कार्यालयचेन्नई – आधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित , करने केलिए ।
The Superintendent (Computer Section), Pr.CCO Chennai – for displaying on the official zonal website.

3. मास्टर फाईल अतिरिक्त प्रतिलिपि । /
Master file/Spare copy.

-